भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *263
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन के लिए नीति

***263# श्री बाबू राम निषादः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या नीति तैयार की गई है, तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में कोई दस-सूत्रीय कार्यसूची प्रस्तावित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 दिनांक 12 अगस्त, 2026

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 263 दिनांक 12 अगस्त, 2026 के उत्तर में वक्तव्य।

(क): सरकार ने वर्ष 2009 में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) तैयार की है ताकि रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, व्यावहारिक, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योतिकी-संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत का निर्माण किया जा सके ।

एनपीडीएम में आपदा प्रबंधन के सभी घटक, जिनमें रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास , पुनर्निर्माण और रिकवरी, शामिल हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मार्च 2025 में यथा संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक कानूनी और संस्थागत ढांचा पहले ही तैयार किया जा चुका है।

(ख): सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिक्रिया, राहत, पूर्व चेतावनी, तैयारी, क्षमता निर्माण, सामुदायिक प्रशिक्षण आदि को सुदृढ़ करने के लिए कई पहल की हैं। ऐसी कुछ पहल इस प्रकार हैं:

1. वर्ष 2016 में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की गई थी। वर्ष 2019 में यह संशोधित की गई। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्ष 2025 में पहली बार संशोधन किया गया। संशोधनों ने संस्थागत ढांचे, वित्तीय तंत्र, शहरी आपदा प्रबंधन और जवाबदेही संरचनाओं को मजबूत किया। ये संशोधन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाते हैं।
3. देश में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सरकार द्वारा पहली बार 04.07.2022 को 5,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ राज्यों में 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना' शुरू की गई।
4. केंद्र सरकार ने चक्रवात, बाढ़, सुनामी आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक मज़बूत और सुदृढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है, ताकि आपदा के बाद प्रतिक्रिया और बचाव कार्य में तेज़ी लाई जा सके और जान-माल की हानि को कम किया जा सके। चक्रवातों के लिए अलर्ट अब 7 दिन पहले भेजे जाते हैं, जबकि पहले यह 5 दिन पहले भेजे जाते थे।

5. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) के तहत तटीय राज्यों में आरंभिक चेतावनी तंत्र बनाए गए हैं, जो हाल के साइक्लोन के दौरान तटीय समुदाय को चेतावनी देने में बहुत मददगार साबित हुए हैं।
6. कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सीएपी) के साथ, विभिन्न प्रसार माध्यमों, जैसे, एसएमएस, टीवी, रेडियो, भारतीय रेलवे, कॉस्टल सायरन और सभी चेतावनी एजेंसियों के एकीकरण के माध्यम से, सभी 36 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू-लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों/अलर्टों के प्रसार के लिए शुरुआत की गई है। इस प्रणाली का उपयोग करके अब तक 19000 करोड़ से अधिक अलर्ट प्रसारित किए जा चुके है।
7. एसएमएस आधारित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) के अलावा, अलर्ट के तत्काल प्रसार के लिए सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम (सीबीएस) भी मई, 2026 में शुरू किया गया है।
8. माननीय प्रधानमंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल आपातकालीन नंबर' के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए, मौजूदा एकल नंबर "112" के साथ "आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का विस्तार" परियोजना शुरू की गई है, जो आपदाओं के लिए आपातकालीन कॉल से संबंधित समस्याओं का निवारण भी करेगी।
9. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बटालियनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जिन्हें देश में भेद्यता प्रोफाइल के आधार पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, तथा आपदा विशेष पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।
10. 16वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि:

 i. सरकार ने 16वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों पर, वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्यों को कुल 2,04,401 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से एसडीआरएफ के रूप में 1,63,521 करोड़ रुपये और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के रूप में 40,880 करोड़ रुपये शामिल हैं।

 ii. सरकार ने 16वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों पर एसडीआरएफ के आवंटन में 27.63 प्रतिशत की वृद्धि की है, अर्थात इसे वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 1,28,122 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए 1,63,521 करोड़ रुपए किया गया है।

iii. राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड अवधि (अर्थात् वर्ष 2026-31) के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के लिए कुल 79,406 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें से 59,554.50 करोड़ रुपये की राशि एनडीआरएफ को और 19,851.50 करोड़ रुपये एनडीएमएफ को आवंटित की गई है।

11. देश में स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया है:
 i. आपदा मित्र योजना लागू की गई है, जिसके तहत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए 1,00,000 से अधिक सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।
 ii. सरकार ने अब एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS), एनवाईकेएस (NYKS) और बीएस& जी (BS&G) के स्वयंसेवको सहित लगभग 2,37,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए 469.53 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ युवा आपदा मित्र योजना' नामक एक योजना शुरू की है।

12. सरकार ने आपदा प्रबंधन चक्र के शमन पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में, विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से विभिन्न शमन कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। ऐसे कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

13. भारत ने अपने निरंतर प्रयासों से आपदाओं और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से आपदा प्रबंधन पद्धतियों, तैयारियों, रोकथाम और रेस्पोंस तंत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना शासन की एक सतत और विकसित होती प्रक्रिया है।

(ग) और (घ): माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दस सूत्री एजेंडा प्रतिपादित किया है। यह सर्व समावेशी एजेंडा आपदा जोखिम प्रबंधन

के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और समुदाय की तैयारी से लेकर प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कई मुद्दों का समाधान करता है। डीआरआर पर प्रधानमंत्री का दस सूत्रीय एजेंडा निम्नानुसार है : -

i. सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए।

ii. जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर एसएमई और बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र तक सभी को शामिल किया जाना चाहिए।

iii. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए।

iv. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश ।

v. आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

vi. आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना ।

vii. सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना ।

viii. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का उपयोग।

ix. आपदाओं से सीखने के हर अवसर का उपयोग करना और उसे हासिल करने के लिए प्रत्येक आपदा के बाद उससे मिलने वाले सबक पर अध्ययन होना ।

x. आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अधिक एकजुटता लाना।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263, दिनांक 12 अगस्त, 2026

अनुलग्नक

एनडीएमएफ के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 'शमन घटक' के तहत कार्यान्वित प्रमुख दीर्घकालिक परियोजनाओं का विवरण

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजनाएं	कुल स्वीकृत राशि	स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा (एनडीएमफ)	जारी केंद्रीय हिस्सा	शेष केंद्रीय हिस्सा	टिप्पणी/वर्तमान स्थिति
1.	सबसे अधिक सूखा प्रवण 12 राज्यों को उत्प्रेरक सहायता	2022.16	1200.00	500.00	700.00	12 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जाना है। 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु को पहली किस्त जारी की गई है।
2.	शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम-I	3075.65	2482.63	926.29	1556.34	सभी 7 शहरों अर्थात चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु को पहली किस्त जारी की गई।
3.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना	1000.00	900.00	69.04	830.96	15 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाना है। 4 राज्यों अर्थात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम के लिए पहली किस्त जारी की गई।
4.	आकाशीय बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना	186.78	121.14	101.26	19.88	10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाना है। 08 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लिए एनडीएमएफ का हिस्सा जारी किया गया।
5.	वनाग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना	818.92	607.45	390.45	217.00	19 राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है। ओडिशा को छोड़कर, 18 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड और तमिलनाडु के लिए पहली किश्त जारी की गई।
6.	राष्ट्रीय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (जीएलओएफ) जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम	150.00	135.00	38.05	96.95	सभी 4 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को पहली किस्त जारी की गई।
7.	शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन (यूएफआरएमपी) चरण-II (11 शहरों)	2444.42	2200.00	54.00	2146.00	11 शहरों अर्थात भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ में से 1 शहर को पहली किस्त जारी की गई,
8.	असम के 24 आर्द्रभूमियों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प	692.05	519.04	155.71	363.33	असम को पहली किस्त जारी की गई।
9.	पंचायती राज संस्थाओं में सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना	507.37	273.38	0	273.38	20 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जाना है।
